JALAUN POLICE

दिनांक – 25.04.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 65,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्त सत्तू यादव पुत्र छोटे यादव नि0 ग्राम पाली थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा वादी की नाबालिग भतीजी के साथ गलत कृत्य किया गया था जिसके संबन्ध में थाना कदौरा में दिनांक 27.09.2019 को मु0अ0सं0 161/2019 (वाद संख्या 106/19) धारा 376/504/506 भादवि एवं ¾ पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट बनाम सत्तू यादव पुत्र छोटे यादव नि0 ग्राम पाली थाना कदौरा जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 25.04.2025 को मा0 न्यायालय स्पे0 जज पॉक्सो कोर्ट उरई उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त सत्तू यादव उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 65,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।